न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 16 / 2021 GCMS NO 2021 / 107
दायरा तिथि : 05.07.2021
आदेश तिथि : 29-10-2021

प्रार्थी :–
अरविन्दकुमार पुत्र किस्तुरजी जाति रावल ब्राहम्ण
निवासी रमणीया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. दरगाराम पुत्र हेमाजी
2. तेजाराम पुत्र गेनाजी
3. केनाराम पुत्र हेमाजी
4. लच्छाराम पुत्र हेमाजी के कायम मुकामः–
   4/1 श्रीमति सुकीदेवी पत्नि लच्छारामजी
   4/2 पवनी पुत्री लच्छारामजी
   4/3 बाबुलाल पुत्र लच्छारामजी
   4/4 भरत पुत्र लच्छारामजी
   4/5 राजु पुत्र लच्छारामजी
5. मानाराम पुत्र हेमाजी के कायम मुकामः–
   5/1 नेनु पत्नि मानाराम
   5/2 मंजु पुत्री मानाराम
   5/3 चेनाराम पुत्र मानाराम
   5/4 मोडाराम पुत्र मानाराम
   5/5 दिनेश पुत्र मानाराम
6. खरताराम पुत्र गेनाजी
7. मगीबाई पत्नि गेनाजी
8. बदामी पुत्री गेनाराम
9. सोनाराम पुत्र गेनाराम
10. हंसाराम पुत्र गेनाराम तमाम जातिगण सीरवी
    निवासीगण माताजी का वाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 29-10-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम रमण्यिा पटवार हल्का, गुडालास तहसील बाली के खसरा नंबर 255, 256 रकबा क्रमशः 0.02 हैक्टर गै.मु. तेड, 1.56 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 1.58 हैक्टर में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण दरगाराम पुत्र हेमाजी जाति सीरवी निवासी माताजी वाडा वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम रमणिया के खसरा नंबर 257 रकबा 1.13 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि मेंसे नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग के अनुसार 20 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, गौखमपुरा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1192 दिनांक 14.07.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम रमणीया तहसील बाली के खसरा नंबर 255 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. तेड व खसरा नंबर 256 रकबा 1.56 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खातेदारी भूमि अरविन्द कुमार पि. किस्तुरजी जाति रावल निवासी रमणीया तहसील बाली जिला पाली के नाम से खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 255 व 256 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हैं।

पेज लगातार.............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 16/2021 GCMS NO 2021/107
अनवान अरविन्दकुमार बनाम दरगाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2. यह हैं कि वर्तमान में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु खसरा नंबर 248 मेंसे होकर आना जाना करता है, वह भूमि मौके पर खडा व कुआ है, जिसमें से रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं। रास्ते हेतु आवेदित/प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	257	1.13	बा.अ.	88X 6 =528 वर्गमीटर यानि 0.0528 हैक्टर	दरगाराम पुत्र हेमाजी 1/5, केनाराम पुत्र हेमाजी 1/5, लच्छाराम पुत्र हेमाजी के कामु अप्रार्थी संख्या 4/1 लगाय 4/5 का संयुक्त तौर पर 1/5, खरताराम पुत्र गेनाराम 1/30, तेजाराम पुत्र गेनाराम 1/30, वदामी पुत्री गेनाराम 1/30, मगीवाई पत्नि गेनाराम 1/30, सोनाराम पुत्र गेनाराम 1/30, हंसाराम पुत्र गेनाराम 1/30 स्व. मानाराम पुत्र हेमाराम के वारिशान- (नेनु पत्नि मानाराम,मंजु पुत्री मानाराम,चेनाराम पुत्र मानाराम,मोडाराम पुत्र मानाराम,दिनेश पुत्र मानाराम) 1/5 हिस्सा

अन्य विकल्प के तौर पर पहुँच निकटतम एवं न्यूनतम प्रभावित रास्ते का इसी खसरे से विवरण निम्नानुसार है

1	257	1.13	बा.अ.	26X 6 =156 वर्गमीटर यानि 0.0156 हैक्टर	दरगाराम पुत्र हेमाजी 1/5, केनाराम पुत्र हेमाजी 1/5, लच्छाराम पुत्र हेमाजी के कामु अप्रार्थी संख्या 4/1 लगाय 4/5 का संयुक्त तौर पर 1/5, खरताराम पुत्र गेनाराम 1/30, तेजाराम पुत्र गेनाराम 1/30, वदामी पुत्री गेनाराम 1/30, मगीवाई पत्नि गेनाराम 1/30, सोनाराम पुत्र गेनाराम 1/30, हंसाराम पुत्र गेनाराम 1/30 स्व. मानाराम पुत्र हेमाराम के वारिशान- (नेनु पत्नि मानाराम,मंजु पुत्री मानाराम,चेनाराम पुत्र मानाराम,मोडाराम पुत्र मानाराम,दिनेश पुत्र मानाराम) 1/5 हिस्सा

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम रमणिया की डी.एल.सी. दर 184950/-रूपये प्रति हैक्टयर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं। अतः अन्य कोई क्षति नहीं होगी, न ही अन्य विकल्प के तौर पर प्रस्तावित निकटतम/न्यूनतम रास्ते में भी कोई भी वृक्ष या निर्माण हैं।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या-05 की मृत्यु प्रकरण प्रस्तुती से पुर्व होने के तथ्य ध्यान में आने पर प्रार्थी पक्ष के आवेदन पर मृत अप्रार्थी संख्या'05 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया। अप्रार्थी पक्ष की ओर से दिनांक 28.07.2021 को अधिवक्ता रताराम राठौड ने उपस्थित होकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 256 में जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 257 मेंसे रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति प्रकट की, परन्तु इसके बदले में काऊण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी नेनू की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 252 तक पहुँच मार्ग प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 256 मेंसे दिलाने का निवेदन किया। प्रकरण के चलते दिनांक 12.08.2021 को अप्रार्थी संख्या-04 की मृत्यु होने से प्रार्थी पक्ष के आवेदन पत्र इनके कायम मुकाम को भी रेकर्ड पर लिया गया। इस बाबत् प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में दिनांक 29.10.2021 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया।

काऊण्टर प्रार्थना पत्र के सबंध में तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा ने जांच कर रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 को निम्नानुसार प्रस्तुत की:-

1. अप्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 252 रकबा 1.94 हैक्टर में जाने हेतु प्रार्थी की सहमति से खसरा नंबर 256 में होकर वर्तमान में अवागमन करते हैं। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नंबर 265 जो रास्ता है जो खसरा नंबर 252 से लगता हुआ है, किन्तु वर्तमान में उक्त रास्ता मौके पर बन्द पडा है जिसका वर्तमान में कोई भी खातेदार उस रास्ते का उपयोग नहीं करते हैं, अन्य विकल्प नहीं हैं।

2. प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 256 रकबा 1.56 में निम्नानुसार रकबा प्रभावित होगा:-

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित रकबा	पंजियन दर
01	अरविन्दकुमार पुत्र किरतुरजी रावल	256	1.56	16X 6= 96 वर्गमीटर	184950/-रूपये प्रति हैक्टर

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 16/2021 GCMS NO 2021/107
अनवान अरविन्दकुमार बनाम दरगाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. पुर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट की निरन्तरता में ही प्रार्थी अप्रार्थी की खातेदारी 257 में होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 256 में प्रवेश करेगा, इसके पश्चात् अप्रार्थी खसरा नंबर 256 से राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 249 से अपनी खातेदारी भूमि ख्सरा नंबर 252 में जायेगा। खसरा नंबर 249 सरकारी बिलानाम पडत भूमि हैं, जिसमें होकर उनका आना–जाना होता हैं।
4. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि की जो दोनो खसरा नंबर 257 व 256 में जहां रास्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा दिया जाना हैं। उस जगह पर कोई वृक्ष एवं निर्माण कार्य किया हुआ नहीं हैं तथा दोनो का निमनुसार रकबा प्रभावित होना बताया:–

क्र0सं0	खसरा नंबर	नाम खातेदार	रकबा	प्रभावित रकबा	पंजियन दर
01	257	**अप्रार्थीगण** दरगाराम पुत्र हेमाजी वगैरा	1.57	26X 6= 156 वर्गमीटर	184950/–रूपये प्रति हैक्टर
02	256	**प्रार्थी** अरविन्दकुमार पुत्र किस्तुरजी	1.56	16X 6= 96 वर्गमीटर	184950/–रूपये प्रति हैक्टर

अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण खातेदार खसरा नंबर 257 मेंसे रास्ता देने हेतु सहमत होना तथा इसके एवज में अप्रार्थी खातेदार 256 में रास्ता चाहते है। अपनी रिपोर्ट के साथ में मौका फर्द मय नजरी नक्शा भी पेश किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 256 में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण दरगाराम पुत्र हेमाजी वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम रमणिया के खसरा नंबर 257 मेंसे रास्ता चाहा है। प्रार्थी के आवेदन अनुसार तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित मार्ग से अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिये सहमत है, परन्तु बदले में काऊण्टर प्रार्थना पत्र के द्वारा अप्रार्थी नेनू पत्नि मानाराम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 252 तक पहुँचने के लिये प्रार्थी की खातेदार भूमि खसरा नंबर 256 मेंसे रास्ता चाहते है। अप्रार्थी चाहे गये रास्ते का प्रार्थी की सहमति से उपयोग भी करते आ रहे है, परन्तु अब रेकर्डेड रास्ता चाहते हैं। इस बाबत् निरीक्षक भू0अभिलेख मौखमपुरा व तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजरस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी को ग्राम रमणिया के खसरा नंबर 257 रकबा 1.57 हैक्टर मेंसे 156 वर्गमीटर एवं अप्रार्थी पक्ष को ग्राम रमणिया के खसरा नंबर 256 रकबा 1.56 हैक्टर मेंसे 96 वर्गमीटर **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत प्रार्थी व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप खसरा नंबर 261 से खसरा नंबर 257 व 256 से होते हुये राजकीय बिलानाम सरकारी भूमि खसरा नंबर 249 तक उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 184950/– प्रति हैक्टयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
257	1.87	26X 6 =156 वर्गमीटर	18.50	2886 X2=5772	दरगाराम पुत्र हेमाजी 1/5, केनाराम पुत्र हेमाजी 1/5, लच्छाराम पुत्र हेमाजी के कामु अप्रार्थी संख्या 4/1 लगाय 4/5 का संयुक्त तौर पर 1/5, खरताराम पुत्र गेनाराम 1/30, तेजाराम पुत्र गेनाराम 1/30, बदामी पुत्री गेनाराम 1/30, मगीबाई पत्नि गेनाराम 1/30, सोनाराम पुत्र गेनाराम 1/30, हंसाराम पुत्र गेनाराम 1/30 स्व. मानाराम पुत्र हेमाराम के वारिशान– (नेनु पत्नि मानाराम,मंजु पुत्री मानाराम,चेनाराम पुत्र मानाराम,मोडाराम पुत्र मानाराम,दिनेश पुत्र मानाराम) 1/5 हिस्सा

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 16 / 2021 GCMS NO 2021 / 107
अनवान अरविन्दकुमार बनाम दरगाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 184950 / – प्रति हैक्टयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
256	1.56	16X 6= 96 वर्गमीटर	18.50	1776 X2=3552	अरविन्दकुमार पुत्र किस्तुरजी जाति रावल ब्राहम्ण निवासी रमणीया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मौखमुपरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ प्रेषित नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :

क्रमॉक / कोर्ट / 2021 /
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का, गुडालास
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक अरविन्दकुमार पुत्र किस्तुरजी रावल निवासी रमणिया एवं दरगाराम पुत्र हेमाराम वगैरा निवासीगण माताजी वाडा को को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner